

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठाधीन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी, भाड़मेर

क्रमांक रीडर/2022/ 1764

दिनांक - 05/07/2022

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 देवाराम 2 खेताराम पिसरान
दौलाराम 3 मूली पत्नी दौलाराम
जाति जाट निवासी सादूलाणियों
का तला, सनावड़ा तहसील व
जिला बाड़मेर।


1 विरधाराम पुत्र पदमाराम 2 नगाराम पुत्र उदाराम
3 टीकमाराम पुत्र चोखाराम 4 हेमाराम पुत्र
चुतराराम 5 पेमाराम पुत्र हीराराम जाति जाट 6
सतीदास पुत्र रूपदास 7 मूलदास पुत्र हरीदास
जाति संत 8 नेनाराम 9 जेठाराम जाति जाट
निवासी सादूलाणियों का तला, सनावड़ा तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 124/2022

दिनांक- 05/07/2022

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सादूलाणियों का तला पटवार क्षेत्र सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1125/1001 रकबा 67.14 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

दिनांक- 05/07/2022

क्रमांक :- रीडर/2022/ 1765-1768

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सनावड़ा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. देवाराम पुत्र दौलाराम वगैराह जाति जाट निवासी सादूलाणियों का तला, सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी विरधाराम पुत्र पदमाराम वगैराह जाति जाट निवासी सादूलाणियों का तला, सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर